REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 5 | FEBRUARY - 2024

"मध्य प्रदेश के विकास में भूमि सुधार कार्यक्रमों की भूमिका का भौगोलिक अध्ययन" (मऊगंज जिले के विशेष संदर्भ में)

अनबर खान
सहायक प्राध्यापक भूगोल
शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज (म.प्र.)

सारांश –

भूमि सुधार का अर्थ भूमि के साथ किसान के सम्बन्धों में संस्थागत परिवर्तन लाये जाने से है। कुछ लोगों के अनुसार छोटे किसानों व खेतिहर मजदूरों के हितों के अनुकूल भूमि स्वामित्व का वितरण भूमि सुधार कहलाता है। दूसरी ओर कुछ लोग, अपेक्षाकृत व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर, कृषि प्रणाली व क्रियाओं के सम्बन्ध में किए गए किसी भी उपाय को, जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है, भूमि सुधार की संज्ञा देते है। ऐसी परिभाषा से भूमि सुधार की मूल अवधारणा ही मिट जाती है। भूमि सुधार का अभिप्राय भूमि के स्वामित्व, काश्तकारी एवं भूमि प्रबंध से सबंधित व्यवस्था में नीतिगत परिवर्तन करना है। भूमि सुधार को संकुचित एवं विस्तृत दोनों अर्थो में परिभाषित किया जाता है। संकुचित अर्थ में "भूमि सुधार का अभिप्राय लघु कृषक एवं भूमिहीन श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर किये जाने वाले भूमि स्वामित्व के पुर्नवितरण से है। विस्तृत अर्थ में भूमि सुधार का अभिप्राय भूमि व्यवस्था के उस संरचनात्मक परिवर्तन से है, जिसके माध्यम से कृषि के ऊंचे तथा संगठन को बदलकर उसे अधिक न्यायपूर्ण एवं उपयोगी बनाया जाता है।" भूमि सुधार कार्यक्रम आज की महत्वपूर्ण जरूरत है। ब्रिटिश काल में भारत में भू–सपत्तियों में अत्यधिक असमानता थी जिसका मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन की अन्यायपूर्ण नीतियाँ थी जिसकी वजह से एक तरफ जमीदारों एवं संपन्न वर्ग के पास अत्यधिक जमीने थी, जबकि ज्यादातर कृषक भूमिहीन थे। भूमि की इस असमान वितरण ने कृषि क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। अतः कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भूमि सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया। भारत में स्वतंत्रता पश्चात् कई भूमि सुधार कार्यक्रम संचालित किये गये जिनसे कृषि विकास में सहायता मिलती है। भारत में जहाँ एक ओर कृषि में सुधार का प्रश्न महत्वपूर्ण रहा है तो दूसरी ओर वहीं उससे जुड़ा हुआ भूमि सुधार व्यवस्था का भूमि सुधार के बिना कृषि कार्य की प्रगति संभव नहीं है।

मुख्य शब्द– भूमि सुधार कार्यक्रम, परंपरागत व्यवस्था, आर्थिक दशा, भूमिगत संसाधन।

प्रस्तावना –

भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिये संस्थागत परिवर्तनों पर जोर दिया गया है। अतः भूमि सुधार का आशय ऐसे संस्थागत परिवर्तनों से है जिनसे भूमिगत संसाधनों का वितरण किसानों या खेतिहरों के पक्ष में होता है, और जिनसे जोत के आकार में वृद्धि से कृषि इकाई अथवा खेत आर्थिक दृष्टि से सक्षम बन जाते हैं। संस्थागत परिवर्तनों में भू–सुधार का स्थान सर्वोच्च माना गया है।

संस्थागत परिवर्तनों में कृषि भूमि सम्बन्ध अथवा भू–धारण प्रणाली और खेत का आकार का समावेश जरूरी है। कारण, दोनों के सम्बन्ध में देश की स्थिति ठीक नहीं रही है। देश की भू–धारण प्रणाली बहुत दोषयुक्त रही है। अधिकांश कृषि भूमि थोड़े से व्यक्तियों के अधीन है, जबकि बहुसंख्यक किसान भूमिहीन है या उनके पास बहुत थोड़ी भूमि है। प्राय भूस्वामी स्वय खेती न करके कड़ी शर्तों पर काश्तकारों को जमीन उठा देते हैं। कभी–कभी बड़े काश्तकार उपकाश्तकारों को जमीन उठा देते है। इस प्रकार देश की भूमि व्यवस्था में बिचौलिए भरे पड़े हैं और अनेक खेतिहर भूमिहीन है जो कड़ी शर्तों के अधीन खेती करते हैं। इसके लिए इस तरह के भूमि सुधार आवश्यक ठहरते हैं, जैसे कि मध्यस्थों का उन्मूलन किसानों को भूमिधर बनाना, भूमि के स्वामित्व को अधिकतम सीमा निर्धारित करना अतिरिक्त भूमि का छोटे व भूमिहीन किसानों में वितरण, लगान में कमी करना आदि। कृषि का सामन्ती ढाँचा भूस्वामी व काश्तकारों में संघर्ष की स्थिति पैदा किया है अधिकतर कृषि जोते बहुत छोटी और दूर–दूर बिखरी हुई है। अनेक स्थानों पर जोतों का आकार इतना छोटा हो गया है कि वे खिलौनो जैसी लगती है। बहुत छोटी और विखण्डित जोतों पर अच्छी खेती नहीं की जा सकती। न इनमें निवेश बढ़ाना आर्थिक दृष्टि में लाभकारी माना जाता है, और न ही जुताई, बुवाई सिंचाई आदि आवश्यक कार्य ठीक ढंग से किए जा सकते हैं। अतः जोत के आकार को बड़ा करना कम आवश्यक नहीं है भू–सुधार में काश्तकारी सुधारों के अलावा भू–जोतों का निर्धारण चकबन्दी, सहकारी कृषि, भूमिहीनों में भूमि का वितरण आदि आवश्यक है जिनको अपनाने से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है और सामाजिक न्याय का वातावरण बढ़ता है। भू दृव्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें कृषकों के भूमि–सम्बन्धी अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की व्याख्या होती है। भूमि व्यवस्था से आशय भूमि के स्वामी तथा उसके जोतने वाले का भूमि के प्रति अधिकार एवं दायित्व तथा मालगुजारी देने के सम्बन्ध में व्याख्या से है, भूमि व्यवस्था में जो सरकार से भूमि प्राप्त करते हैं, उन्हें भूमि स्वामी कहते हैं।

प्रोफेसर गुन्नार मिर्डल के अनुसार दृश्भूमि सुधार व्यक्ति और भूमि के संबंधों में नियोजन का संस्थागत पुर्नसंगठन है।" भूमि व्यवस्था एक परंपरागत प्रणाली थी, जो कि स्वतंत्रता के पूर्व की अवस्था है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस परंपरागत प्रणाली को भूमि सुधार कार्यक्रम में बदल दिया गया है। इस भूमि सुधार प्रणाली के अंतर्गत सरकार की कृषि के विकास से सबंधित कृषि नीतियां एवं नियम बनाये गये जो कि आधुनिक कृषि एवं कृषि का विकास अधिक तीव्र गति से होने लगा जिसके कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार की संख्या में वृद्धि होने लगी और कृषि से संबंधित किसानों (छोटे एवं बड़े किसान) का जीवन स्तर सुधरने लगा। भूमि सुधार के अंतर्गत कृषि कर रहे किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त होने लगा किसान तथा सरकार के बीच के दलालों के द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिल गई। परन्तु आज भी कई जगह ये दलाल काम कर रहे हैं परन्तु इनका भी अब समाप्त होना तय है। सरकार द्वारा किसानों को उचित समर्थन मूल्य मिलने से किसानों को कृषि करने के लिए एक अलग उत्साह भी प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमि सुधार प्रणाली विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ है।

भूमि सुधारों का उद्देश्य –

भूमि सुधार के दो मूल उद्देश्य हैं।

1. किसानों के प्रति सामाजिक न्याय और
2. कृषि उत्पादन में वृद्धि

ये दोनों उद्देश्य एक–दूसरे के पूरक है। कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि लाए बिना सामाजिक न्याय की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भारत मूल रूप से एक कृषि प्रधान देश है। यहां की अर्थव्यवस्था कृषि के आधार पर टिकी हुई है. और इसका लगभग हर भाग गहरे तौर पर कृषि से प्रभावित होता है, जैसे – राष्ट्रीय आय पूँजी, अनाज व चारा, विदेश व्यापार, उद्योग आन्तरिक व्यापार और परिवहन, सरकारी बजट। परन्तु राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में खेती का स्थान बहुत महत्तवपूर्ण तो है, लेकिन यह बहुत पिछड़ी हुई दशा में है, खेतों में लगभग 70 प्रतिशत कार्यकारी जनसंख्या लगी हुई है और राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 27 प्रतिशत के लगभग है। इसका अर्थ यह हुआ कि खेती में 70 प्रतिशत श्रमिको के लगे होने के बावजूद राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कुल 27 प्रतिशत है। शेष 30 प्रतिशत श्रमिक अन्य क्षेत्रों में 73 प्रतिशत राष्ट्रीय आय का उत्पादन करते

है। इससे स्पष्ट होता 1/5 कि गैर कृषि क्षेत्रों में प्रति श्रमिक उत्पादन की तुलना में कृषि क्षेत्र में प्रति श्रमिक उत्पादन का औसत आधे से भी काफी कम है।

भूमि सुधार का महत्व एवं आवश्यकता –

भूमि सुधार से न केवल कृषि विकास में सहायता मिलेगी बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति की दृष्टि से भी इसका महत्व बहुत अधिक है। भूमि सुधार की आवश्यकता और महत्व निम्नलिखित है।

1. प्रोत्साहन की व्यवस्था – उत्पादन मात्रा में वृद्धि लाना कृषि क्षेत्र की आधार मूलक समस्या है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि उत्पादन वृद्धि के लिए बीज, खाद, पानी उपकरण आदि कृषि–साधनों या आगतों की मात्रा को अधिक से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे–जैसे इनकी मात्रा में वृद्धि होगी वैसे–वैसे उत्पादन भी बढ़ने लगेगा। परन्तु साधनों की कमी तो है. लेकिन फिर भी उपलब्ध साधन पूरे तौर से काम में लाए जाते। इसके दो कारण है, एक तो यह है कि अधिकांश किसानों के पास बहुत थोड़ी भूमि है और गरीबी के कारण इनके पास आवश्यक मात्रा में साधनों के खरीदने की शक्ति नहीं होती। दूसरा कारण यह है कि जहाँ काश्तकारी के अधीन खेती की जाती है, वहाँ के किसानों को साधनों के भरपूर उपयोग के लिए सामान्यतः कोई प्रोत्साहन या प्रेरणा उपलब्ध नहीं होती। जब किसानों को उनकी मेहनत और उनके द्वारा किए गए निवेश का पूरा फल नहीं मिल सकता, तब वे भला किस प्रकार अधिक मात्रा में साधनों के इस्तेमाल के लिए अभिप्रेरित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में केवल साधनों की मात्रा बढ़ाने से काम न चल सकेगा। हमे इन साधनों को प्रयोग में लाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को दो तरह की बातों के लिए प्रोत्साहन देना आवश्यक है। एक तो कड़ी मेहनत करने तथा भूमि की उचित देखभाल करने के लिए और दूसरे आवश्यकतानुसार कृषि साधनों को इस्तेमाल में लाने के लिए। इस प्रकार के प्रोत्साहन की व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि भू–धारण प्रणाली ऐसी हो कि किसानों को यह भरोसा रहे कि उनकी मेहनत और निवेश का पूरा लाभ उन्हे मिल सके। इससे भूमि सुधार की आवश्यकता का स्पष्ट बोध होता है।

2. उत्पादन वृद्धि का लागतहीन तरीका – पूँजी की इस कमी के संदर्भ में यदि भूमि सुधार को देखा जाए, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने का यह एक प्रकार से लागतहीन तरीका है। भूमि सुधार एक ऐसा परिवेश पैदा करता है जिसमें किसान खेती–बाड़ी में अधिक दिलचस्पी लेने एवं कड़ी मेहनत करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। साधनों की उपलब्धि के अलावा कृषि उपज इस पर भी निर्भर करती है कि कैसे इन साधनों को इस्तेमाल किया जाता है और किस ढंग से उनकी देखभाल की जाती है।

3. आयोजन प्रक्रिया में सहायक – भू–धारण प्रणालियों के दोषों को दूर करने एवं देश में अच्छी भू–धारण प्रणाली की स्थापना से आयोजित विकास को विशेष बढ़ावा मिलेगा। भूमि सुधार के फलस्वरूप किसानों से सीधा सम्पर्क स्थापित होने से आयोजन के अनुसार भूमि का प्रयोग सरल हो जायेगा और सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का अधिक प्रयोग सम्भव बन जाएगा।

4. सामाजिक न्याय की व्यवस्था – भू–सुधार के सहारे करोड़ों किसानों के लिए न्याय की व्यवस्था में बडी मदद मिल सकती है। भू–धारण सम्बन्धों में सुधार के फलस्वरूप किसान का शोषण रूकेगा और अपने निवेश व श्रम का पूरा फल उसे मिल सकेगा। साथ ही भूमि की सीमाबन्दी और भूमिहीन व छोटे किसानों के बीच बेशी भूमि के वितरण से धन और आय की असमनताएँ घटेगी। और फिर चकबन्दी, सहकारी, खेती आदि उपायों से कृषि जोत के आकार में वृद्धि होने से किसानों की कार्यक्षमता और आमदनी बढ़ेगी।

पूर्व शोध की समीक्षा –

यादव, सत्यभान (2001) इस शोध शीर्षक कृषि विपणन प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता नामक अध्ययन में पाया कि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाना अधिक महत्वपूर्ण है ताकि लम्बे समय तक उच्च उत्पादन के स्तर को बनाए रखा जा सके। इसके लिए कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार आवश्यक है। इस प्रकार उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कृषिगत अन्य समस्याओं की भाँति कृषि प्रयासों का सही विपणन सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। प्रक्षेत्र का कार्य अन्न उत्पादन करना नहीं, बल्कि उसका कार्य बाजार में प्रचलित माँग पूर्ति तथा कीमत की जानकारी रखना भी है, ताकि अधिशेष उत्पादन का सही समय पर सही कीमत प्राप्त कर अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सके।

सिंह, व्ही. एस. (2004) Agriculture Productivity trends in U-P. नामक शोध प्रबंध के अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि कृषि फसलों की उत्पादन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला साधन सिंचाई है. यदि फसलों में सिंचाई नहीं की जाय तो रासायनिक उर्वरक अधिक उत्पादन देने वाले उच्च किस्म के बीज तथा अन्य उत्पादन बढ़ाने वाले तत्व भी कोई आशय के अनुरूप अपना परिणाम नहीं देते हैं इस अध्ययन से स्पष्ट है कि सिंचाई फसलों के लिए परम आवश्यक है। बगैर सिंचाई के फसलों की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः बेहतर कृषि पैदावार के लिए उचित सिंचाई प्रबंधन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सिचाई का सही मात्रा में उपयोग कृषि फसलों की उत्पादन को काफी बढ़ा सकती है।

श्रीमती गुप्ता, सौरभी (2014) सीधी जिले के कृषि रूपान्तरण प्रक्रिया का आर्थिक विश्लेषण में स्पष्ट रूप से बताया गया कि सीधी जिले में कृषि के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिंचाई, तकनीकी, वित्त, भूमि व्यवस्था आदि समस्याये भारतीय कृषि में निहित है। अतः इस अध्ययन से स्पष्ट है कि तकनीकों एवं वित्त भूमि व्यवस्था का उचित हल होना कृषि विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तभी कृषि विकास की कल्पना की जा सकती है।

उद्देश्य –

1) मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले में किए गए विभिन्न भूमि सुधार उपायों की समीक्षा करना।
2) अध्ययन क्षेत्र में भू–राजस्व प्रशासन की प्रणाली और विभिन्न अधिनियमों द्वारा इसमें प्रस्तावित परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
3) भूमि सुधार उपायों का जोत, भू–स्वामित्व, काश्तकार व्यवस्था और भूमि उपयोग पर प्रभाव का अध्ययन करना।
4) अधिनियमों में निहित विभिन्न प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों के प्रभाव की जाँच करना।
5) भूमि व्यवस्था के अंतर्गत भूमि सीमा कानून का क्रियान्वयन भू–समतलीकरण तथा भूमि रखरखाव में हुए परिवर्तन परिवर्द्धन की प्रक्रिया का आकलन करना।
6) भूमि प्रबंधन के बेहतर प्रयास और भूमि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन का सुझाव देना।

परिकल्पना – शोधार्थी एक कृषक परिवार से संबंध रखता है और वह कृषि गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। अतः उसके मन मस्तिष्क में प्रस्तावित शोध प्रबंध मध्यप्रदेश के विकास में भूमि सुधार कार्यक्रमों की भूमिका का भौगोलिक अध्ययन से संबंधित कई परिकल्पनाएँ उत्पन्न हो रही हैं। जिनकी वास्तविकता की जाँच इस प्रबंध के माध्यम से करने का प्रयास किया गया। कुछ महत्वपूर्ण परिकल्पनाएँ निम्न हैं–

- मऊगंज जिले में भूमि सुधार कार्यक्रम की उपयोगिता तो है परंतु कार्यक्रम का संचालन ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है।
- भूमि सुधार कार्य में शासन स्तर में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
- भूमि सुधार कार्यक्रम से सबंधित योजनाओं की जानकारी आम कृषक वर्ग तक नहीं पहुंच पाती है।
- मऊगंज जिले में कृषक वर्ग जो आश्रित है उसको योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।
- भूमि सुधार कार्यक्रम से आर्थिक विकास की गति में आशातीत प्रगति नहीं हो रही है।

शोध क्षेत्र–

चूँकि शोधार्थी का अध्ययन क्षेत्र मऊगंज जिले को लिया गया है। मऊगंज जिले में उत्खनन के कारण घनत्व है। जनगणना के अनुसार मऊगंज जिले की कुल जनसंख्या 6,16,653 है, जिसमें से पुरुष 3,20,660 एवं महिलाएँ 2,95,993 है एवं 1000 पुरुषों के अनुपात में 962 महिलाएँ हैं। मऊगंज जिले का कुल क्षेत्रफल 1866.86 वर्गकिलोमीटर है जिसमें 03 तहसीलें हैं, तथा 256 ग्राम पंचायतों में 1070 ग्राम हैं। मऊगंज जिले में जनसख्या का घनत्य 258 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। मऊगज जिले में राज्य की कुल जनसंख्या का 3.59 प्रतिशत भाग रहता है। मऊगंज जिले की साक्षरता दर 52 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 63 प्रतिशत एवं महिलाओं की साक्षरता दर 41 प्रतिशत है।

शोध प्रविधि –

शोध या अन्वेषण किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है। ज्ञान की किसी भी शाखा में ध्यानपूर्वक नये तथ्यों की खोज के लिए किये गये अन्वेषण या परिक्षण को अध्ययन कहते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य अपरिहार्य है। शोध कार्य में "मध्यप्रदेश के विकास में भूमि सुधार कार्यक्रमों की भूमिका का भौगोलिक अध्ययन से सम्बन्धित वास्तविक एवं विश्वसनीय आकड़ों को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है। प्राथमिक आकड़े स्वयं कार्य स्थल पर जाकर मूल स्त्रोतों से एकत्र किये गये हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास में भूमि सुधार कार्यक्रमों की समस्या से संबंधित विभिन्न प्रकाशित– अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, शासकीय प्रतिवेदनों आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं। इसके अतिरिक्त लाइब्रेरी, एवं इंटरनेट आदि का भी आकड़े एवं विषय वस्तु से संबधित स्टडी मटेरियल एकत्र करने में प्रयोग किया गया है।

तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण –

सारणी क्रमांक 1 कृषि पर निर्भरता

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	47	94
2	नहीं	3	6
	कुल	50	100

तालिका संख्या 1 से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है और कृषि ही उनका मुख्य पेशा है इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि 94 प्रतिशत लोगों ने कृषि पर अधिकांश जनसंख्या की निर्भरता स्वीकार की है। अतः यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पूरे अध्ययन क्षेत्र का कृषि व्यवसाय ही मुख्य पेशा है और यही लोगों के जीवकोपार्जन का प्रमुख साधन बना हुआ है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि के विकास सम्बन्धी योजनाओं को ठीक ढंग से क्रियान्वित करके कृषकों की आर्थिक दशा को सुधारा जा सकता है जिसमें चकबन्दी एक अहम भूमिका निभा सकती है।

तालिका संख्या 2 : कृषि क्षेत्र में विकास

क्र	विवरण	सांख्या	प्रतिशत
1	हॉ	44	88
2	नहीं	6	12
	कुल	50	100

जहां तक कृषि क्षेत्र के विकास की बात है तालिका संख्या 2 में 88 प्रतिशत कास्तकारों ने कृषि क्षेत्र के विकास को स्वीकार किया है। अर्थात काश्तकारों को भूमि सुधार सम्बन्धी योजनाओं का लाभ मिला है। जिससे कृषि क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है।

तालिका संख्या 3 : भूमि सुधार की आवश्यकता

क्र	विवरण	सांख्या	प्रतिशत
1	हॉ	50	100
2	नहीं	0	0
	कुल	50	100

तालिका संख्या 3 की व्याख्या का प्रश्न है क्या अध्ययन क्षेत्र में भूमि सुधार की आवश्यकता है इस बात को सभी काश्तकारों ने स्वीकार किया है जैसा कि तालिका सख्या 3 में शत प्रतिशत दिखाया गया है।

तालिका संख्या 4 : लागू हुये भूमि सुधार कार्यक्रम

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	जमींदारी की समाप्ति	4	8
2	काश्तकारी सुधार	6	12
3	भूमि सीमा निर्धारण	4	8
4	कृषि का पुनर्गठन	3	6
5	सभी	33	66
	कुल	50	100

तालिका संख्या 4 में अध्ययन क्षेत्र में लागू हुये भूमि सुधार कार्यक्रमों के सम्बन्ध में काश्तकारों की राय ली गयी है। जिसमें से 66 प्रतिशत काश्तकारों ने भूमि सुधार के चारों कार्यक्रम के पक्ष में अपनी राय स्पष्ट की है। किन्तु यदि इन कार्यक्रमों को व्यक्तिगत रूप से अलग–अलग जानने के लिए काश्तकारों की राय इस प्रकार रही है। जमींदारी की समाप्ति के पक्ष में 8 प्रतिशत काश्तकारी सुधार में 12 प्रतिशत भूमि सीमा निर्धारण 8 प्रतिशत और कृषि के पुनर्गठन के सम्बन्धित में 6 प्रतिशत लोगों ने राय व्यक्त की है। इनके व्यक्तिगत विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि काश्तकारी सुधार के पक्ष में अधिक लोगों की राय रही है।

तालिका संख्या 5 : कृषि पुर्नगठन में सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	चकबन्दी	50	100
2	सहकारी कृषि	–	–
3	भूदान	–	–
	कुल	50	100

तालिका संख्या 5 में कृषि की पुनर्गठन सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है कि अध्ययन क्षेत्र में भूमि सुधार सम्बन्धी कौन से कार्यक्रम सबसे लोकप्रिय रहे हैं। इसमें 100 प्रतिशत चकबन्दी संबंधी कार्यक्रम को सबसे लोकप्रिय बताया है।

तालिका संख्या 6 : चकबन्दी कार्यक्रम की सफलता

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	सफल	40	80
2	असफल	10	20
	कुल	50	100

तालिका संख्या 6 चकबन्दी कार्यक्रम की सफलता के सम्बन्ध में है कि अध्ययन क्षेत्र में भूमि सुधार से सम्बन्धी कार्यक्रमों में सबसे अधिक चकबन्दी सम्बन्धी कार्यक्रम अब तक सफल रहा है 80 प्रतिशत लोगों ने चकबन्दी कार्यक्रम की सफलता के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है इससे स्पष्ट है कि भूमि सुधार सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों की अपेक्षा चकबन्दी कार्यक्रम सबसे अधिक कारगर सिद्ध हुई है।

तालिका संख्या 7 : चकबन्दी से कृषि उत्पादकता में वृद्धि

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	45	90
2	नहीं	5	10
	कुल	50	100

तालिका संख्या 7 में चकबन्दी कार्यक्रम से कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के सम्बन्ध में काश्तकारों के विचारों से ज्ञात किया गया है जिसमे 80 प्रतिशत लोगों ने कृषि उत्पादकता की वृद्धि को स्वीकार किया है।

तालिका संख्या 8 : चकबन्दी कार्यक्रम से संतुष्ट या असंतुष्टि के कारण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	निरपेक्ष एवं नियमित संचालन न होना	21	42
2	कार्यक्रम में पारदर्शिता का आभाव होना	29	58
	कुल	50	100

जहाँ तक तालिका सख्या 8 का प्रश्न है जिसमें चकबन्दी कार्यक्रमों से संतुष्ट या असतुष्ट होने की बात पूछी गयी है उसमें काश्तकारों की मिली जुली प्रतिक्रिया रही हैं। अधिकांश लोग चकबन्दी कार्यक्रमों से संतुष्ट नहीं है। और उनके संतुष्ट न होने के कारण भी स्पष्ट किये है जिसमें 42 प्रतिशत लोगों ने निरपेक्ष एवं नियमित न होने की बात कही 58 प्रतिशत लोगों ने पारदर्शिता का न होना अपनी असंतुष्टि का कारण बताया।

वर्तमान अध्ययन स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियमित विभिन्न कानूनों का जायजा लेने के लिए किया गया था. उपायों के कार्यान्वयन के संबध में राज्य में हुई प्रगति की समीक्षा करना, मौजूदा विधानों और उनके कार्यान्वयन का आकलन करने और कार्यान्वयन में सुधार के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए। काश्तकारों को सुरक्षा देने और जमीदारों के शोषण को रोकने के मुख्य उद्देश्य के अलावा, भूमि सुधार उपायों को भूमि और भूमि उत्पादकता में सुधार के लिए भी योगदान देना चाहिए। यह देखा गया है कि कानून निर्माताओं की मंशा से बचने के लिए मौजूदा प्रावधानों में कई खामियाँ है। ऐसी खामियों को दूर किया जाना चाहिए और किरायेदार की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया में विधवाओ, नाबालिगों, विकलागों और छोटे धारकों के हित में, जो अपने छोटे से भूखंडों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है, उन पर भी विचार किया जाना चाहिए, ताकि भूमि–जोतों का समेकन और भूमि के बेहतर प्रबंधन को प्राप्त किया जा सके, कुछ कृषि कार्यों के लिए सहकारी समितियों (यदि पूर्ण सहकारी खेती नहीं तो) को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में मौजूदा भूमि कानूनों में देखी गई कमियों के आलोक में भूमि सुधार उपायों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए कुछ सुझाव सामने रखे गए है। विभिन्न भूमि सुधार उपायों के उद्देश्य है, भूमि मालिकों के साथ–साथ किरायेदारों को कृषि के विकास के लिए पर्याप्त श्रम और पूँजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। लेकिन भूमि सुधार के क्षेत्र में अब तक की गई प्रगति कानून के प्रावधानों में कुछ कमियों या कमियों के कारण और उनके कार्यान्वयन में उत्साहजनक नहीं है। भूमि सुधार के विभिन्न उपायों में से जमीदारी के उन्मूलन के मामले में काफी सफलता प्राप्त हुई है। जमीदारी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था और जमींदारी क्षेत्रों को मध्य प्रदेश के अस्थायी रूप से बसे क्षेत्रों में प्रचलित नियमों और विनियमों के तहत लाया गया था। भूमि जोत पर सीलिंग लगाने के परिणामस्वरूप, भूमिहीन, छोटे और सीमात किसानों के बीच वितरण के लिए अधिशेष भूमि के काफी क्षेत्र उपलब्ध थे। लेकिन यह भी देखा गया है कि बड़ी संख्या में बड़े भूमिधारक बेनामी हस्तांतरण और झूठी घोषणा के माध्यम से सीलिंग एक्ट के प्रावधान से बचते हैं।

सफल भूमि सुधार लाने के लिए कुछ प्रशासनिक सुधार भी आवश्यक है। जैसा कि टास्क फोर्स ने ठीक ही बताया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी भूमि सुधार के उचित कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बाधाओं में से

एक है। लगभग सभी राज्यों में भूमि सुधार के उपायों को लागू करने की क्षमता का उत्तरदायित्व राजस्व प्रशासन का है। भूमि सुधार का कार्यान्वयन इसके कई कार्यों में से केवल एक है। इसलिए, भूमि सुधार पर अगर अविभाजित ध्यान देने की जरूरत है तो नहीं। प्रभावी भूमि सुधार लाने के लिए भूमि सुधार के उपायों के कार्यान्वयन को देखने के लिए एक अतिरिक्त उपायुक्त को विशेष रूप से तैनात किया जाना चाहिए।

सदर्भ ग्रंथ सूची –

क्रमांक	पुस्तक का नाम	लेखक	प्रकाशन
1.	मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास	डॉ. बी. एल. राव, एन.एस. कोण्डावार	म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
2.	कृषि वित्त	डॉ. बी. एल. माथुर	अर्जुन पब्लिशिंग हाउस
3.	भारतीय अर्थशास्त्र	डॉ. चतुर्भुज मामोरिया	साहित्य भवन
4.	कृषि अर्थशास्त्र तथा भारत की कृषि समस्याए	दूधनाथ सिंह	रामनारायण लाल
5.	कृषि अर्थशास्त्र	डॉ. जयप्रकाश मिश्र	साहित्य भवन
6.	मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता	कनिष्ठ कुमार निगम	सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी
7.	व्यवसायिक सांख्यिकी	डॉ.एम.एस. शुक्ल एवं डॉ. शिवपूजन सहाय	साहित्य भवन आगरा
8.	भारत की आर्थिक समस्याए	डॉ. मामोरिया एवं जैन	साहित्य भवन आगरा
9.	मध्य प्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन	डॉ. प्रमिला कुमार एवं डॉ. श्री कमल शर्मा	म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
10.	कृषि अर्थशास्त्र	ऋषि कुमार गोविल	प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी लखनऊ
11.	म.प्र. एक परिचय	राकेश गौतम एवं जितेन्द्र सिंह भदौरिया	टाटा मैग्राहिल्स एजुकेशन प्रा.लि.
12.	सांख्यिकी के सिद्धांत	डॉ.एस.एन. शुक्ल एवं डॉ. एस.पी. सहाय	साहित्य भवन